कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मोनिटरिंग / बोर्ड परीक्षा निर्देश / 2020 / 08 दिनांक : 08.01.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय–माध्यमिक।

विषय : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं हेतु बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर समुचित फर्नीचर व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षाएं इस वर्ष क्रमशः 12 मार्च तथा 5 मार्च – 2020 से प्रारम्भ होने जा रही है। उक्त परीक्षाओं के महत्व के मद्देनजर समस्त बोर्ड परीक्षार्थियों हेतु उपयुक्त फर्नीचर व्यवस्था किया जाना लाजिमी है। समस्त बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर समुचित फर्नीचर व्यवस्था हेतु आप स्वयं जिला क्षेत्राधिकार के समस्त बोर्ड परीक्षा केन्द्रों का भली प्रकार निरीक्षण कर उक्त केन्द्रों को आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप उक्त केन्द्र पर उपलब्ध फर्नीचर का आकलन करते हुए अग्रांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. समस्त परीक्षार्थियों हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है, जो परीक्षार्थियों के भली प्रकार से बैठने एवं लिखने हेतु पूर्णतः उपयुक्त अवस्था में हो। छोटी–मोटी मरम्मत योग्य फर्नीचर की मरम्मत सम्बन्धितों द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व समय रहते आवश्यक रूप से करवा ली जाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
2. परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार कमी वाले बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर फर्नीचर की व्यवस्था उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से सम्बन्धित अन्य राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों से करवाई जानी है। उक्तानुरूप समीपस्थ विद्यालयों को उन विद्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर के अनुरूप परीक्षा केन्द्र को फर्नीचर उपलब्ध करवाने हेतु लिखित में आदेशित करें। उक्त सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को 'बोर्ड सम्बद्धता नियमों' के अनुसार बोर्ड परीक्षा हेतु आवश्यकता की स्थिति में फर्नीचर उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य तथा बाध्यकारी है। बोर्ड द्वारा उक्त कार्य हेतु फर्नीचर को लाने–ले जाने हेतु ढुलाई खर्च का भुगतान सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को किया जाता है, परन्तु किसी भी स्थिति में फर्नीचर हेतु किराये के भुगतान का प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त निर्देशानुरूप जिला क्षेत्राधिकार में अवस्थित समस्त बोर्ड परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अग्रिम तैयारियों का आकलन कर अतिरिक्त फर्नीचर की आवश्यकता वाले परीक्षा केन्द्रों हेतु वांछित फर्नीचर की संख्या अंकित कर समीपस्थ राजकीय / गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों / प्रबन्धन को केन्द्राधीक्षक की मांग के अनुसार तत्काल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करें। उक्त निर्देशों की पालना में कोताही बरतने वाले विभागीय संस्था प्रधानों के विरूद्ध तत्काल नियमानुरूप अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करावें तथा गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध "राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम – 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम–1993" के प्रावधानान्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चेतावनी देकर अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाते हुए फर्नीचर उपलब्धता की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना / क्रियान्विति सर्वोच्च प्राथमिकता से करावें।

8/01

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को सम्भाग क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।

4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-प्रारम्भिक शिक्षा।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
8. स्टॉफ आफिसर, कार्यालय हाजा।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर